

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
संज्ञात्मक
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-एफ-73-129/20-5/2002

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रोता बिहार, नई दिल्ली.

विषय:- अशासकीय डॉन बार्को प्राथमिक स्कूल सिन्दवाड़ा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापूर्ति प्रमाण-पत्र बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय डॉन बार्को प्राथमिक स्कूल सिन्दवाड़ा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापूर्ति प्रमाण-पत्र विद्यमान प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

- 1/ संस्था को अपनी कार्य शक्ति में एक प्रतिनिधि जिना शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि हैं जिन में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंचोपक [परीक्षा] को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
- 2/ नोडिंगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को शामिल करना होगा ।
- 3/ स.पु.शासन द्वारा शिक्षा के पुनार-पुनार के विषये लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्ही कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
- 4/ किन्ही प्रतिनिधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि स.पु. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी केल परितर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

5/

राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संज्ञाहित करने के लिये यदि संस्था या समन या व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश में राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

। एम. एन. जॉर्ज ।
उपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 27-12-2002

पु0कु0-एफ-73-129/20-5/2002

प्रतिनिधि:- ज्ञानम लोक शिक्षा, भोपाल।

1/ की ओर पर कुर्क -1 विद्या/पी. 84/सी. पी. एन. सी./2002
दिनांक 19. 2002 के संदर्भ में कुर्कार्थी प्रेषित है।

2/ जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा।

3/ प्रचारक, डॉन बालबों पाठ्यक्रम स्कूल छिन्दवाड़ा

की ओर कुर्कार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रोक्त है।

M. N. George
उपर सचिव 27/12/02

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग